

# कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बीजापुर (छ.ग.)

--: निविदा विज्ञप्ति :-

क्रमांक / 5125 / कले. / भू.अ. / रा.नि.व.लो. / 2014

बीजापुर, दिनांक 14/11/2014

बीजापुर जिले के मिसल अभिलेखों के डिजिटल कम्प्यूटरीकरण निम्नानुसार कार्यों हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्र.	कार्य का विवरण
1	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों की स्कैनिंग व टेपिंग
	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों का प्रिंट आउट
	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों का लैमिनेशन
2	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की स्कैनिंग 1-स्कैनिंग 2-साईजिंग 3-पेज कम्बाइडिंग 4-आफ लाईन वेब साईड एण्ट्री
	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की प्रिंट आउट-साइज ए 3, ए 4
	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की लेमिनेशन-साइज ए 3, ए 4
	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की लेमिनेशन-साइज ए 3, ए 4

उक्त निविदा भरने हेतु नियम एवं शर्तें तथा निविदा फार्म दिनांक 20/11/2014 तक दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बीजापुर में प्राप्त कर सकते हैं। निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20/11/2014 तक दोपहर 03:00 बजे तक है तथा निविदा उसी दिन दिनांक 20/11/2014 को सायं 04:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

पृ.क्रमांक / 5125 / कले. / भू.अ. / रा.नि.व.लो. / 2014  
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर  
जिला बीजापुर  
बीजापुर, दिनांक 14/11/2014

सहायक संचालक जन संपर्क, जिला बीजापुर की ओर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

कलेक्टर  
जिला बीजापुर

## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) जिला बीजापुर (छ.ग.)

क्रमांक/२५२६/कले./भूअ./रा.नि.व.लो./2014

बीजापुर, दिनांक 14/11/2014

कार्यालय की निविदा विज्ञप्ति क्रमांक/२५२५/कले./भूअ./रा.नि.व.लो./2014 बीजापुर, दिनांक 14/11/2014 के द्वारा बीजापुर जिले के मिसल अभिलेखों के डिजिटल कम्प्यूटरीकरण कार्यों हेतु निविदा की निम्नलिखित शर्तें लागू की जाती हैं :-

1. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट/एड/स्पीड पोस्ट अथवा पी0एन0टी0 विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी। निविदा कार्यालयीन अवधि में निर्धारित टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती है।
2. निविदा पत्र दिनांक 20.11.2014 तक समय अपराह्न 12:00 बजे तक विक्रय की जावेगी। निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20.11.2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक होगी। निविदा पत्र दिनांक 20.11.2014 को दोपहर 4:00 बजे जिला कार्यालय बीजापुर में खोली जावेगी। जिसमें निविदाकर्ता या उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
3. निविदा हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 10000.00 (दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्रॉपट/टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कलेक्टर बीजापुर के नाम से देय हो संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सुरक्षा निधि की राशि संलग्न नहीं होने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफे में प्रपत्र (1) से संबंधित अभिलेख तथा संस्था का वाणिज्यकर प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, समाशोधन प्रमाण-पत्र, आयकर चुकता प्रमाण पत्र, सुरक्षा निधि की राशि या उससे छूट संबंधी प्रमाण पत्र रखा जावेगा तथा दूसरे लिफाफे में प्रपत्र (2) सामग्री का मूल्य कथन पत्रक (निविदा पत्र) रखकर तदनुसार लिफाफे के ऊपर लिखा जावेगा।  
क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम लिफाफे (प्रपत्र-1) को खोला जावेगा। वांछित अभिलेख पूर्ण होने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात् मूल्यकथन पत्रक (प्रपत्र-2) खोला जावेगा। प्रथम लिफाफे पर वांछित दस्तावेज नहीं होने पर संसोधन को अपात्र करते हुए मूल्यकथन पत्रक नहीं खोला जावेगा एवं उस निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।
5. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी वह नहीं खोली जायेगी। तथा वापस लौटा दी जायेगी। निविदा वापस करते समय निविदा के बंद लिफाफे पर निविदा लौटाने के तिथि व समय अंकित किया जावेगा।
6. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं की जावेगी।
7. निविदादाताओं को फर्म ने आयकर अदा किया है एवं उस पर कोई बकाया नहीं है इस आशय का समाशोधन प्रमाण-पत्र प्रदायकर्ता का व्यापारिक संस्थान वहां स्थित है का प्रमाण-पत्र प्रथम लिफाफे में रखा जाना अनिवार्य होगा।

(7.1) सामग्री हेतु प्रस्तावित दर में समस्त कर, लोडिंग/अनलोडिंग एवं परिवहन दर शामिल होगा।

(7.2) सामग्री की दरे अनुमोदित होने पर प्रथम दर अनुमोदित संस्थान एवं द्वितीय दर अनुमोदित न्यूनतम संस्थान की सुरक्षा निधि राशि रोककर शेष संस्थाओं की सुरक्षा निधि राशि तत्काल वापस कर दी जावेगी।

8. निविदाकर्ता को सामग्री का परिवहन करना होगा। जिसके लिए पृथक से राशि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जावेगा।

9. कार्यादेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री परिवहन/प्रदाय किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समयावधि में आपूर्ति/परिवहन नहीं किया जाता है तो अर्थदण्ड अधिरोपित की जावेगी।

10. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

कलेक्टर  
जिला-बीजापुर

अभिलेखों का प्रपत्र-1

फर्म का नाम .....

.....

1. संस्थान का वाणिज्यकर पंजीयन क्रमांक (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)  
एवं दिनांक (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)
2. आयकर चुकता संबंधी प्रमाण-पत्र —"—
3. वाणिज्य कर समाशोधन प्रमाण-पत्र —"—
4. सामग्री प्रदाय करने का क्षमता प्रमाण-पत्र —"—
5. संस्थान का पैन नम्बर (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) —"—
6. सुरक्षा निधि से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र —"—
7. सुरक्षा निधि का विवरण (बैंक एवं राशि का विवरण) —"—

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर  
एवं फर्म का सील

मिसल अभिलेखों के डिजिटल कम्प्यूटरीकरण कार्य हेतु मूल्य कथन पत्रक

प्रपत्र-2

फर्म का नाम .....

निविदा प्रपत्र क्रमांक / / दिनांक .....

क्र.	कार्य का विवरण	फर्म द्वारा प्रस्तावित दर
1	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों की स्कैनिंग व टेपिंग	
	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शों का प्रिंट आउट	
	नक्शा 24"X30 बंदोबस्त नक्शा का लैमिनेशन	
2	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की स्कैनिंग 1-स्कैनिंग 2-साईजिंग 3-पेज कम्बाइडिंग 4-आफ लाईन वेब साईड एण्ट्री	
	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की प्रिंट आउट-साइज ए 3, ए 4	
	मिशल बंदोबस्त/अधिकार अभिलेख/निस्तार पत्रक की लेमिनेशन-साइज ए 3, ए 4	

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर  
एवं फर्म का सील